

176/322
31/1/17

संख्या: फिन (पैन)बी (10)-३ / 2006- खण्ड-१
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (पेन्शन) विभाग

प्रेषकः

प्रधान सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002

प्रति

- १ समस्त प्रशासनिक सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।
- २ समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश।
- ३ मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डि व कांयड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-171002

४७/।।/2017

विषय:- १-१-२०१६ से ३०-६-२०१६ तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी
अधिकारियों/कर्मचारियों की विवरणियों न भेजने वारे।

महोदयः

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के समरांखन पत्र दिनांक १९
जितवार, २०१५ की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल
सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ के नियम ५६ के अन्तर्गत सभी विभागाध्यक्षों को अगले २४ से ३०
महीनों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूचिया महालेखाकार (लेठ व ह०) हिमाचल
प्रदेश के कार्यालय को भेजना अनिवार्य है परन्तु महालेखाकार कार्यालय ने उनके पत्र संख्या:
पेन्शन--१/पै.वी.क./जोशी/रिपोर्ट/२०१६-१७/१६७६-७७ दिनांक २५-११-२०१६ द्वारा इस
विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों द्वारा नियम ५६ के अन्तर्गत वांछित सूचियां नहीं
भेजी जा रही हैं।

इसी तरह केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ के नियम ६१(४) के अन्तर्गत
प्रावधान है कि सभी सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेन्शन मामलों को उनकी
सेवानिवृत्त के ६ महीने पहले महालेखाकार (लेठ व ह०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित
किए जाएं ताकि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के पेन्शन मामलों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले
गिरावटकर समय पर पेन्शन लाभ दिया जा सके। परन्तु उप महालेखाकार (लेठ व ह०) हिमाचल
प्रदेश ने इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों तथा उनके अधीन कार्यरत आहरण
एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ के प्रावधानों
पै.वी.क. Cell
विशेषकर नियम ५६ व ६१ को अनुपालना नहीं की जा रही है जिसके कारण पेन्शनरों को लग्ये
सम्भालुक्तानुसारों पेन्शन लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप आपने विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों तथा शाहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 56 से 61 की सख्ती से अनुपालन करे तथा यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों / अधिकारियों के पेन्शन मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 61(4) के अन्तर्गत सेवानिवृति से 6 महीने पहले महालेखाकार (ले० व ४०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालयों को भेजे जायें। सभी विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि नियम 56 में बांधित सूतना भी निश्चित समयावधि के भीतर महालेखाकार (ले० व ४०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय की समय-समय पर भेजा करें।

इसके अतिरिक्त आपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सख्त छिदायतें जारी करें कि वह सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों की जन्म तिथि, ऐम्पिड कोड, डी०डी०००० कोड, फार्म-३ में पारिवारिक पेन्शन के लिए जन्म तिथि और सेवानिवृति की सही तिथियाँ विशेष तौर पर मृत कर्मचारियों और स्वेच्छा से निवृत कर्मचारियों की जन्मतिथि भी विवरणियों में दर्शाना सुनिश्चित करें। यह सभी विभागों से अपेक्षित है कि वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अग्रल किया जाए ताकि सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों के पेन्शन मामलों का समय-बद्ध तरीके से निपटारा हो तथा सेवानिवृति लाभों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके।

मवदीय,

३७१८

विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक:
२७-१-२०१७

पृष्ठाकृत संख्या: यथोपरि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- उप महालेखाकार (ले० व ४०), हिमाचल प्रदेश, शिगला-३ को उनके अ०शा० पत्र संख्या: पैन्शन-१/पै.वी.क./जोशी/रिपोर्ट/2016-17/1676-77 दिनांक 25-11-2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश राजकार।
- प्रधान आवासीय आयुक्त, हिमाचल भवन, 27 -सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली।
- गुरुग्राम अभियन्ता, हिमाचल लोक निर्माण विभाग / सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग।
- वर्जीयक, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिगला-१
- समरत जिला सत्र एवं न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश।
- समस्त नियन्त्रक / संयुक्त नियन्त्रक / उप नियन्त्रक / सहायक नियन्त्रक / अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) हिमाचल प्रदेश।
- समरत जिला कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
- समरत अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय।

Smt. Nirmal

Smt. Gaurav Patel


M.

31/1/17

३७१९

विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश, शिमला



पृष्ठांकन संख्या: ई0 डी0एन0(1)बी(15)1 / 2009—दिनांक
सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

14/3/2017 शिमला - 1

1. प्रधान सचिव (वित्त)हिमाचल प्रदेश शिमला-02 आपके पत्र संख्या फिन (पैन)बी(10)-3 / 2006 दिनांक 27-01-2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रधान सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 सूचनार्थ प्रेषित है।
3. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक रकूल शिक्षा निदेशालय उच्च. हिन्दूप्र०।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्र०) शिक्षा निदेशालय उच्च. हिन्दूप्र०।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक का०-। / का०-।। शिक्षा निदेशालय उच्च. हिन्दूप्र०।
6. संयुक्त नियंत्रक (विवेद एवं लेखा). शिक्षा निदेशालय उच्च. हिन्दूप्र०।
7. उप निदेशक(उच्च) / सहायक शिक्षा निदेशालय (उच्च) शिक्षा निदेशालय उच्च. हिन्दू प्र०।
8. समस्त प्राचार्य रा० महा० विद्यालय हिन्दूप्र०।
9. समस्त उप निदेशक. हिन्दूप्र० अग्रिम कार्यवाही हेतु।
10. तकनीकी अधिकारी शिक्षा निदेशालय (उच्च) वेब साईट अप-डेट करने हेतु।
11. समस्त अधीक्षक शिक्षा निदेशालय (उच्च) हिन्दूप्र० उपरोक्त मामले पर आगामी कार्यवाही करें।
12. रक्षक नस्ति।

संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्र०) 10 Mar 17
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

(06)

17 colt